

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2023

का.आ. 3617(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, वरिष्ठ प्रोफेसर और प्रमुख, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/119/2023-पीएमएसएसवाई-IV]
अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2023

S.O. 3617(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Dr. Anil Kumar Gupta**, Sr. Professor and Head, PGIMER, Chandigarh, as the President of All India Institute of Medical Sciences, Bathinda.

[F.No. Z-28016/119/2023-PMSSY-IV]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.